—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—189/2023

उनवान

1. रमजान पुत्र अली जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायम बिठुर., नसीराबाद
2. शाहबुदीन पुत्र रहीमा जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 2 अनुपस्थित, 3 जरियें राज. पैराकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत बिठुर द्वारा पारति आदेश दिनांक 26.09.23 नामान्तकरण संख्या 1104 के द्वारा पंचायत द्वारा अस्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 30/6/25

अधिवक्ता अपीलान्टस ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.58 व 2090/3092 रकबा 0.15की आराजी दिनांक 31.07.2023 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने अपीलांट को विक्रय किया था।उक्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी होने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम गलत होने के कारण विक्रय वत्र निष्पादित किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 1104 दिनांक 01.08.23 को भारा गया। ग्राम पंचायत बिठुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1104 को दिनांक 26.09.23 को नियम विरूद्व निरस्त कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा के गैर कानूनी नामान्तकरण आदेश को निरस्त कर अपीलांट के नाम नामान्तकरण के आदेश पारित करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

——2

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांटव राज. पैरोकार के तर्को पर मन किया गया। आराजी मुताजा हाल राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 01.08.23 को अपीलांट को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्टस ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त आराजी का विक्रय किया है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विक्रेता के खातेदारी अध्किारों का अवसान हो गया है। ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तकरण जो पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था, निरस्त करने का कोई विधिक अधिकार नही थां ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण निरस्त करने का को कारण भी अंकित नही किया है। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त नामान्तकरण में कोई विपरित टिप्पणी अंकित नही की गयी है। नामान्तकरण संख्या 1104 तस्दीक करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया अपीलांट द्वारा जो तथ्य अपनी अपील में उठाये गये है उनके अनुसार अपीलांट के कथन न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील का खण्डन भी पेश नही किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर विधिक त्रुटि की है।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत बिठुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1104 में दिनांक 26.09.23 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश नही है। उक्त नामान्तकरण में विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने से हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम भीमपुरा का नामान्तकरण संख्या 1104 दिनांक 26.09.23 में ग्राम पंचायत बिठुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। उक्त नामान्तकरण तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम भीमपुराके हाल खसरा नम्बर2089 रकबा 0.58 व 2090/3092 रकबा 0.15की आराजी पर अपीलांट व रेस्पोडेन्टस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही नवीन सिरे से की जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:32 IST
Reason: SelfAttested